न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 07/2017 (डूंगरपुर डिक्री)

1. श्री गटूनाथ पिता कुरीया रावल जोगी निवासी आंतरी तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
2. श्री मोहननाथ पिता कुरीया रावल जोगी निवासी आंतरी तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
3. श्रीमती गीता पत्नी स्व. लक्ष्मणनाथ रावल जोगी निवासी आंतरी तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
4. श्री रमेशनाथ पिता श्री सवजी रावल जोगी निवासी आंतरी तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
5. श्री तकतनाथ पिता श्री सवजी रावल जोगी निवासी आंतरी तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
6. श्री रघुनाथ पुत्र सवजी रावल जोगी निवासी आंतरी तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
7. श्रीमती कमला पुत्री सवजी रावल जोगी हाल अपने पति श्री हीरनाथ रावजी जोगी निवासी गडा अरण्डिया तहसील आसपुर जिला डूंगरपुर

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती तुलसी पुत्री कोदरा रावल जोगी निवासी आंतरी हाल ई–9 अशोक नगर, हाऊसिंग बार्ड डूंगरपुर (राज0)
2. राज्य सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार डूंगरपुर जिला डूंगरपुर

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी डूंगरपुर दिनांक 12–08–2016 प्रकरण
संख्या 11/2011 वाद

———

उपस्थित :–1– श्री कन्हैयालाल पाटीदार अभिभाषक अपीलान्ट्स

2– श्री प्रवीण शुक्ला अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1

3–राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2

——————/——————

निर्णय **दिनांक 15–01–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट वादिया द्वारा अपीलान्ट प्रतिवादीगण व सरकार के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा–53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश करते हुए निवेदन किया कि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या–1 से 9 एक ही कुटुम्ब के सदस्य होकर मूल पूरूष केसु जी थे। जिनके 5 संताने हुई, जिनमें 3 पुत्र क्रमशः कुरीया, कोदरा व सवजी तथा 2 पुत्रियां मोगी व नानू हुई। कुरीया, सवजी व नानू की मृत्यु हो गई। कुरीया के 3 पुत्र गटुनाथ व मोहननाथ हुए तथा तीसरे पुत्र लक्ष्मणनाथ की मृत्यु होकर उसके वारिस पत्नी व पुत्री प्रतिवादी एवं अपीलान्ट संख्या 3 से 5 है। सवजी के भी 3 पुत्र प्रतिवादी संख्या– 6, 7, 8 हुए। सवजी की पुत्री प्रतिवादी संख्या–9 अपने ससुराल में रह रही है। केसु की पुत्री मोगी भी अपनु ससुराल में रह रही है। मोगी द्वारा हक त्याग दिनांक 2–6–2007 को वादिया के पिता कोदरा के पक्ष में कर दिया। वादिया के पिता कोदरा भी वृद्ध हो गये है तथा उनके पुत्र नहीं होकर पुत्रियां वादिया, तुलसी, पार्वती व शान्ता है। वादिया के पिता कोदरा ने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 28–12–2010 से अपने हिस्से की भूमियों का विक्रय वादिया को कर दिया। इस प्रकार वादिया गांव आंतरी के विवादित आराजीयात खेत–16 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा में 1/2 हिस्से की खातेदार है। वादिया को 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

प्रतिवादीगण ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया जिसके आधार पर निम्नानुसार 4 तनकीयात कायम की गई :–

1. **आया वाद वर्णित भूमि/ाम आंतरी के जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 खाता सेख्या 31 में अंकित आराजीयात कूल किता–16 रकबा 7.16 बीघा वादिया 1/2 हिस्से के सहखातेदारी में होकर बंटवारा कराने के अधिकारी है?** **.....वादिया**

2. आया वादीगण वाद वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी काराने के अधिकारी है? ..... वादिया

3. वाद वर्णित भूमि बंटवारा हेतु आवश्यक पक्षकार नहीं बनाये है, इसलिए बंटवारा कराने के एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं है? ..... प्रतिवादीगण

4. अनुतोष

प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा पेश शुदा साक्ष्य सबूतों के आधार पर तनकीवार निर्णय करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया के वाद को 1/2 हिस्से का सह–खातेदार घोषित करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 22–4–2016 को पारित की।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 22–4–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22–1–2017 को पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन व शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि निर्णय की नकल अपीलान्ट वादी को दिनांक ..... प्राप्त हुई है। (अर्थात नकल प्राप्ती दिनांक का अंकन नहीं किया है) प्रतिवादीगण रोजगार हेतु अहमदाबाद में रहते है, इसलिए उन्हें अधिवक्ता से जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अतएव विलम्ब कण्डोन किया जाय।

दफा–5 जाब्ता मयाद पर बहस सुनी गई। आश्चर्यजनक रूप से अपीलान्ट द्वारा नकल का आवेदन कब किया तथा उसे नकल कब प्राप्त हुई, इस बाबत् उसने कोई उल्लेख नहीं किया है न ही नकल पर आवेदन प्राप्ती दिनांक का वर्णन है। अपील निर्धारित मयाद अवधि के करीब 5 माह बाद पेश हुई है, जिसके लिए कोई ठोस पर्याप्त व उचित आधार नहीं है तथा अपीलान्ट द्वारा स्वेच्छापूर्ण नकल प्राप्ती दिनांक के तथ्यों को छिपाया गया है। प्रथम दृष्टया ही क्त अपील में मयाद कण्डोन किये जाने के लिए कोई ठोस, पर्याप्त व उचित आधार नहीं होन से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हालांकि अपील बेरून मयाद होने से प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है, फिर भी हम अपीलान्ट के प्रकरण पर उभयपक्ष के

अधिवक्ता, अपीलान्ट श्री कन्हैयालाल पाटीदार तथा रेस्पोन्डेन्ट अधिवक्ता श्री प्रवीण शुक्ला दोनों के द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की, जो रेकर्ड पर उपलब्ध है। हम अपील मेमों तथा लिखित बहस में उठाये गये उपरोक्त उजरों को दृष्टिगत रखकर गुणावगुण पर भी विवेचन करना उचित समझते है।

अपीलान्ट द्वारा प्रमुखतया मोगी के हक त्याग व कोदरा के विक्रय पत्र जो विधिक पंजीकृत दस्तावेज है, उन्हें त्रुटिपूर्ण व धोखाधड़ी से होना बताया है, जिस पर यह न्यायालय श्रवणाधिकार नहीं रखता। सक्षम सिविल न्यायालय से उन्हें अवैध घोाषित कराये बिना वादिया रेस्पोन्डेन्ट को मोगी व कोदरा के स्थान पर 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं की है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–8–2016 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. .....मुकाम ..... उदयपुर व इजलास ..... एल.एन. मंत्री आर.ए.एस. .....

श्री गटूनाथ पिता कुरीया रावल जोगी निवासी आंतरी तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0) अन्य–6

बनाम

1– श्रीमती तुलसी पुत्री कोदरा रावल जोगी निवासी आंतरी हाल ई–अशोकनगर हाऊसिंग बोर्ड डूंगरपुर (राज0) व सरकार

अपील नं0 **07/2017** बनाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी** .....**डूंगरपुर** .....मुकाम मुक्र्खे.....**12**.....माह.....**08**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**15**..... माह .....**01**..... सन् **2018** .....रूबरू .....पक्षकारान व हाजरी .....**श्री कन्हैयालाल पाटीदार**..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री प्रवीण शुक्ला** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–8–2016 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**15**..... माह .....**01**..... **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।